many remedies against those who use the freedom of an open democratic society for the express purpose of subverting it."

Now I read the next paragraph. He says that we are using the Parliament foe subverting parliamentary democracy. This is what the paper has said and in the end of it, it says:

"The first thing *ft}* do is to establish some norms *'v* ublic discussion not only in Parliament but outside it. The century-old libel law is completely obsolete in to-day's conditions. It has become an instrument in the hands of blackmailers and subverters. That law must be changed at once and brought in line with modem law in this matter elsewhere in the democratic world.

Restraining members of Parliament is more difficult but while privilege may continue to apply to what is said in Parliament, that privilege need not extend to published reports of discussions in Parliament."

The editor or the person who has written this article has tried to indicate that the Members, while debating on the Hazari report, adopted the means to subvert parliamentary democracy. So without going into details, I hope that the House will agree to refer this matter to the Committee of Privileges.

SHRI TRILOKI SINGH (Uttar Pradesh) : Sir, along with the editor, and printer and publisher are equally responsible for the contempt of this House. Through you I request the Leader of the House to have the motion by him amended so that along with the editor, the printer and publisher also can be hauled up.

MR. CHAIRMAN: The Privileges Committee is entitled and can certainly call anyone before the Committee.

Has the Member the leave of the House to raise the question?

(No hon. Member dissented.) 787 RSD—5.

THE LEADER OP THE HOUSE (SHRI M. C. CHAGLA): Sir, I beg t» move:

"That the complaint of breach *«t* privilege raised by Shri Chandra Shekhar be referred to the Committee of Privileges with instructions to report by the end of the next session."

The question was put and the.-motion *was adopted.*

PRIVILEGE ISSUE AGAINST SHRI SHEEL BHADRA YAJYEE

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं आपके द्वारा एक निवेदन करना चाहता हूं। गत 30-5-67 को हजारी रपट पर बहस करते हुए कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री शीलभद्र याजी ने कहा कि " बीबीएन बोस कमीशन पर जब बहस हो रही थी तो सात सौ पचास एम पी थे, लेकिन उनमें से एक सदस्य भी रोने पीटने वाला साहू जैन को नहीं मिला। और लोहिया साहब को 1 लाख रुपया लेना था वह ले कर साइन करवाया "श्री शीलभद्र याजी ने यह षडयन्त्र करके संसोपा व संसोपा नेता डा० लोहिया को बदनाम करने के लिए द्वेषपूर्ण ढंग से बार बार मना करने पर भी सदन में इस बात को दोहराया। शीलभद्र याजी का उपरोक्त कथन (1) षड़यन्त्र का फल है, (2) द्वेषपूर्ण है, (3) असत्य, निराधार तथा तथ्यहीन है।

सदन में किसी के विरुद्ध षड़यन्त्र करके द्वेषपूर्ण ढंग से असत्य निराधार बात कहना सदन का अपमान है। इसलिये वह विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न है।

श्रीमन्, यह पूरी प्रोसीडिंग है उस दिन की। श्री शीलभद्र याजी को बार बार मना किया, मगर मगर आखिर में उन्होंने कहा कि जो मैं कहता हूं, कह रहा हूं, मैं समझता हूं एकदम सही कह

[श्री राजनारायण]

रहा हूं । आप बैठ जायें क्योंकि मझे 10 मिनट में सब कुछ कहना है । मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि जहां तक उन्होंने यह कहा कि श्री राजनारायण ने कांग्रेस को ब्रिटिश इम्पायर का आर्डर्ली कहा, बिरला इम्पायर का कहा, इसलिए हम संसोपा को साहू सर्विस पार्टी कहते हैं । यहां तक तो टिट फार टैट की बात तो ठीक हो सकती है । "बारबरिज्म शड बी मैट विद बारबैरिज्म" । इसमें कोई हर्ज नहीं है और हम इसको मीट कर लेंगे । मगर पर्टिक्यलरली किसी व्यक्ति को यह कहना कि डा० लोहिया को एक लाख रुपया लेना था और एक लाख रुपया लेकर उन्होंने दस्तखत करवाये, यह शुद्धतः निराधार और असत्य है । यह सोशलिस्ट पार्टी और डा० लोहिया को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र है । इसलिए दुनिया की किसी भी जनतंत्रीय प्रथा में यह विशेषाधिकार का प्रश्न माना गया है । मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को लेकर विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय । ये तो सदन के सम्मानित सदस्य लोकसभा के माने जाते हैं, लेकिन यह जो पालियामेंट है, वह लोकसभा और राज्य सभा, दोनों को मिलकर बनती है । एक प्रकार से एक सभा का सदस्य दूसरी सभा का भी माना जा सकता है । *(Interruption)* जरा सुना जाय । मुझे कहना यह है कि श्री शीलभद्र याजी या तो इस सत्य को प्रमाणित करें वरना इसको प्रिवलिज समिति के पास भेज दिया जाना चाहिये ताकि वहां पर उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सके । या फिर वे सदन में खड़े होकर क्षमा मांगें और सदन से यह कहें कि मैं इसको वापस लेता हूं क्योंकि हमसे गलती हो गई, यह सत्य नहीं है और हम इसको वापस लेने के लिए सदन से इजाजत चाहते हैं ।

MR. CHAIRMAN: I am glad you have certainly served your purpose by the statement you have made and it is now for Mr. Yajyee to say that he is sorry but anyhow in these matters I have always appealed to the Members of this House not to use harsh language, not to use innuendoes, imputations and all that. If only Members can follow my advice and avoid' such things, the House will get oft very well—if there are no innuendoes, no imputations and no witch hunting nothing will take place, I can assure you. Mr. Yajyee is not here most probably . . .

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आप रूलिंग अभी मत दें । श्री याजी को आप मौका दें ।

MR. CHAIRMAN: If that is wrong, he should feel sorry for it.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): He must be given an opportunity.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं . . .

MR. CHAIRMAN: I thought Mr. Yajyee was not present here.

SHRI M. GOVINDA REDDY (Mysore): He is not present here.

श्री प्रतल चन्द्र मित्र (बिहार) : श्री शीलभद्र याजी ने आपको जवाब दिया था क्योंकि आपने कांग्रेस को ब्रिटिश इम्पायर का आर्डर्ली, बिरला इम्पायर का आर्डर्ली कहा था । श्री राजनारायण ने एक इंट मारा तो उन्होंने 10 इंट से जवाब दे दिया । एक बात तो ये यह बोले थे और दूसरी बात यह कही थी कि श्री शील भद्र जी का नाम "शील" नहीं होना चाहिये बल्कि "भद्र" होना चाहिये । जिस तरह से आप सोचते हैं कि आपके लिए सब झूठे हैं, तो उसी तरह से कांग्रेस पार्टी के सब सदस्यों ने आपको जवाब दिया और उसके लिए आप कहते हैं कि अन्याय है । अगर यहां पर जो भी आदमी बात कहता है, उसके लिए सबूत दिया जाय, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद सैकड़े में 99 बातें असत्य साबित होंगी । इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरह

बात लाना यहां पर वाजिब नहीं है। अगर आप अपने को साधु कहाने की कोशिश करते हो तो दूसरे को अच्छा बनाने की कोशिश करो।

MR. CHAIRMAN: My feeling, my suggestion, and my appeal to everyone is not to make allegations and eounter-allegations of this character, and disturb the decorum of this gresfe House, i want to appea} to everyone and, therefore . . .

SHRI RAJNARAIN: Is it not a Jiretch of privilege?

HON. MEMBERS: No.

MR. CHAIRMAN: Order, order.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, इस सम्बन्ध में आप से मुझ को निवेदन यह करना है कि आपने एक रूलिंग दी थी पहले कि श्री शील भद्र याजी यहां नहीं हैं, उनको मौका दिया जाय, वे आयेंगे तो इस पर फिर बात होगी। जहां तक मैं समझता हूं आप की वह रूलिंग स्टैंड करती है। श्री शीलभद्र याजी अग सके लिये माफी मांगेंगे। *(Interruption)* अगर नहीं मांगेंगे और आप की सलाह मान कर के खेद प्रकाशित नहीं करेंगे और इसकी असत्यता और निराधार को कबूल नहीं करेंगे, तो फिर इसे प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाय। सी सदन में श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी के बारे में मैंने कुछ कहा था तो यही छागला साहब ने हमारे खिलाफ प्रिविलेज का मोशन मूव किया था जिस को चेयर ने अपने ऊपर ले लिया था। डा० लोहिया हमारी पार्टी के नेता हैं, लोक सभा के सदस्य हैं और वे इस सभा के सदस्य नहीं हैं जिससे वे इस सदन में आ कर के सफाई के साथ कुछ कह सकें। इसलिये किसी बाहर के आदमी पर इस तरह का डेफिनिट अलीगेशन लगाना इस सदन के अपमान से कम नहीं है।

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI M. C. CHAGLA): As far as I understand parliamentary practice, if it is a breach of privilege, it is a breach of privilege of a Member of the other House, and the parliamentary procedure is that a motion for privilege should be moved in that House. If that House agrees, then it would ask this House to investigate.

श्री राजनारायण : हर्गिज नहीं। मैं छागला साहब का जवाब दे रहा हूं। चागला साहब की इस राय से कतई सहमत नहीं हूं। कंटम्प्ट इस हाउस में हुआ, असत्य इस हाउस में बोला गया, झूठ इस हाउस में बोला गया, इसलिये इस हाउस में इस को ब्रीच आफ प्रिविलेज के रूप में उठाना बिल्कुल संसदीय प्रथा है। यह दूसरी बात है कि उस सदन में भी डा० लोहिया या डा० लोहिया की तरफ से दूसरे लोग इसे उठा सकते हैं। इससे वे बार नहीं है क्योंकि उनके ऊपर आक्षेप लगाया गया है। जब हमारे ऊपर चागला साहब ने प्रिविलेज मोशन मूव किया था तो मैंने चेयर से अपील की थी कि इसको आप प्रिविलेज कमेटी में भेजिये, मैं तैयार हूं और अगर प्रिविलेज कमेटी हम को असत्य पायेगी, तो हम सजा भुगतने के लिये तैयार हैं। मगर चागला साहब ने उसको नहीं भेजा। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि यह प्रिविलेज का प्रश्न है और आप इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजें, और श्री शीलभद्र याजी से कहें कि वे इसकी सत्यता को प्रमाणित करें और अगर वे प्रमाणित न कर पायें तो जो प्रिविलेज कमेटी उनको सजा देगी, वह उनको भुगतनी पड़ेगी। प्रिविलेज का सवाल पार्टी का सवाल नहीं होता, यह बिल्कुल एक जुडीशियल प्वाइन्ट है, ला है। इसलिये इसको यहां केवल स्वर संख्या के बल पर तय नहीं किया जा सकता है। मैं आप से सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि यहां पर अगर कोई हल्ला मचा दे कि नो, नो, नो, तो "नो" कहने से प्रिविलेज का सवाल हल नहीं होगा। इसलिये मैं आप से अदब के साथ अपील करता हूं कि यह सवाल प्रिविलेज का है और डा० राम मनोहर

[श्री राजनारायण]

लोहिया के बारे में श्री शीलभद्र याजी ने बिल्कुल गलत, असत्य, निराधार और झूठ बात कही है। इसलिये आप के जरिये मैं चागला साहब से निवेदन करूंगा कि जरा आप की जो कानूनी बुद्धि है, उस कानूनी बुद्धि को आप रेन्यु करें और प्रिविलेज कमेटी में स प्रश्न को भेजें।

SHRI AKBAR ALI KHAN: He has placed before us the point of procedure. You reply to the point of procedure.

श्री राजनारायण : जब चागला साहब खुद श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी जो इस सदन की सम्मानित सदस्या हैं उनके सम्बन्ध में प्रिविलेज हमारे खिलाफ मूव कर सकते हैं, तो वही चागला साहब अब बिल्कुल उसका उलटा तर्क देते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह सदन केवल कोर्ट नहीं है, कचेहरी में जिस तरीके से मुकदमे की पैरवी होती है, वही नहीं है, यह प्रिविलेज का सवाल व्यापक सवाल है। इसीलिये प्रिविलेज का सवाल जब आप हमारे खिलाफ उठाते हैं तो हम शैल्टर नहीं लेना चाहते हैं टैक्नीकैलिटी का। हम कहते हैं कि असत्य का पर्दा फाश होना चाहिये, झूठ का पर्दा फाश होना चाहिये। इसलिये मैं आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार कि इसको आप विशेषाधिकार अवहेलना में भजें। हां, आप की यह व्यवस्था सही है कि इस समय यहां पर श्री शीलभद्र याजी नहीं हैं, इसलिये श्री शीलभद्र याजी को अध्ययन का मौका मिलना चाहिये, उनको सदन में अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिये और उनकी सफाई सुनने के बाद जो फैसला आप को लेना होगा उस वक्त जो कुछ उनको कहना होगा, वह वह कहेंगे और जो कुछ हम को कहना होगा, वह हम कहेंगे।

MR. CHAIRMAN: First I would like to have Mr. Yajee's views about it. But he is not here.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): First of all, Sir, I wish ta make it clear that I am speaking purely from the point of view of the procedure of the House.

SHRI K. P. MALLIKARJUNUDU (Madras): On a point of order, Sir.

MR. CHAIRMAN: Mr. Gupta, he is raising a point of order.

SHRI K. P. MALLIKARJUNUDU: Sir, according to rule 187 no privilege motion can be raised for or against one who' is not a Member of this House. I am quoting the rule:

"Subject to the provisions of thsse rules ..."

MR, CHAIRMAN: I must tell you that I will not allow Mr. Rajnarain to raise it as a question of privilege. Therefore, that question doas not arise.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir. tince you have been making appeals I feel that 1 should have my say in this matter. First of all I must say that I have great regard for Dr. Lohia, and what Mr. Sheel Bhadra Yajee has said is incorrect, patently incorrect. But then, if we have to take int» account all those things said by Mr. Yajee or by Mr. Pande, then it would be necessary to keep the Privileges Committee in permanent se^rJon. That of course we do not w? ;, This is number one. Now it has oeen repudiated, and nobody believed it. I dp not know if Mr. Yajee believed what he said. Now I think, here I personally want to tell him—one thing should be very clear—that Members of the Houses should settle the quarrel amongst themselves. They should not drag each other to the" Privileges Committee, except where the Government tries to mislead the House, and that is in the larger public interests. If they can say, we can also say something. If they give us, we can also give them back. The matter should end there because, otherwise, we find that the whole thing would get diverted into all kinds of procedural wrang-

les, which have no meaning. Sir, we make charges against the Government; we believe them to be true aad we should continue to make these charges. If you call them allegations, you may say so, but let the Congress answer them. Similarly, we had been accused of so many things in the course of these fifteen years and I do not know which accusation we have not got, but normally, if you ask me, we have become a bit too thick-skinned, and we can take it. And, Sir, sometimes I feel, the more the Congress accuses me, the greater my prestige goes up ' the country. Therefore, Sir, 1 th- ., all these matters need not be dragged into the Privileges Committee. Dr. Lohia is a great national leader and, therefore, his prestige cannot be sullied by this kind of frivolous utterances by some Congress leader on the way out, or a Congress Member. But then, we can give them back. Therefore, I would like to tell my hon. friend, Mr. Raj-narain, that he should not feel so brittle about it. Dr. Lohia is a mighty man, and mightier because he has got such colleagues as Mr. Rajnarain. Therefore, I think, let us not do it, go into this thing, now he said it; we can give them back, all of us together. This is my view. Sir, the only thing I would like to submit, Sir, Do not make appeal to us; it is very embarrassing. We are here to make serious charges and allegations, when the public interests demand it, against • anybody here, wi hin the four corners of the law, and this parliamentary procedural law should not, in any manner, be affected. 1 concede that, light to them also. Let them make similar charges if they believe them to be true, and we should have the right to reply that way. Therefore, the matter should end this way, Sir.

MR. CHAIRMAN: Next item. Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance.

श्री राजनारायण : श्रीमन् .

MR, CHAIRMAN: No more please.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, जरा सुनिये। मैं भूपेश गुप्त जी ने जो कुछ कहा है उसकी हिमायत और उनकी भावना की कद्र करता हूं। मैं केवल आपसे इतना जानना चाहता हूं कि अगर एक आदमी इस सदन में जान-बूझकर मैलिशस ढंग से किसी असत्य को बार-बार कहता है डेफिनिट चार्ज लगा कर के, तो उसकी कोई रेमिडी यह सदन करेगा। कांग्रेस पार्टी का कोई, चाहे वे श्री शीलभद्र याजी हों, या और कोई बड़े से बड़ा नेता जो उनके मत का हो, उससे मैं कहना चाहता हूं कि जरा सदन के बाहर इस वाक्य को दोहराये, अगर उसकी इतनी हिम्मत है। जैसा कि हमको चागला साहब ने कहा था, इन्दिरा नेहरू गांधी के बारे में मैंने लगातार दोहराया और पब्लिक मीटिंगों में दोहराया। मैं कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि कांग्रेस पार्टी में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वह डाक्टर लोहिया के बारे में इस बात को सदन के बाहर कहने की हिम्मत रखता हो। मैं जानता हूं कि सदन के बाहर इस वाक्य को दोहराने की किसी में हिम्मत नहीं है, इसलिये सदन के पास कोई रेमिडी है या नहीं, मैं भूपेश-गुप्त जी से अदब के साथ यह जानना चाहता हूं आपके द्वारा। इसकी कोई रेमिडी सदन के पास होनी चाहिये। यों मैं जानता हूं कि शील भद्र याजी के कुछ कहने से डा० लोहिया की महिमा, गरिमा या और व्यक्तित्व पर कोई आंच नहीं आने वाली है।

MR. CHAIRMAN: Let us wait and see. Next item.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED CONCENTRATION OP PAKISTANI TROOPS ON RAJASTHAN BORDER ANB OTHER WARLIKE ACTIVITIES BY PAKISTAN

SHRI V. M. CHORDIA (Madhva Pradesh): Sir, I beg to call the Mention of the Minister of Defence to the reported concentration ot Pakis-